न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06/2021 (2021/44) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रूकमणी पत्नि मोडीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—हेमराज पिता मूला रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/1—मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—भैरूलाल नाबाबेवि माता मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/3—लोकेश नाबाबेवि माता मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/4—ज्ञानी पुत्री हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—कैलाशी पुत्री हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6—लक्ष्मी नाबाबेवि माता मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2—नारायण पिता खेमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—हंजा बेवा नारायण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2—भूरालाल पिता नारायण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3—राजकुमार पिता नारायण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कमला पुत्री बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—प्रेमी पुत्री बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—फूली पुत्री बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लेहरी बेवा बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—प्यारी देवी पत्नि गणेश रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—उदयलाल पिता मोहनलाल रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीया अधिवक्ता
2. सुनिल बापना — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—30.12.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2225 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 2226 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि खाता संख्या 755 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थीया [illegible] कृषि आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पदैल आदि सहित आवाग[illegible] ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क से दक्षिण दिशा में स्थित आराजी संख्या [illegible]28 की पूर्वी पाली पर छुटे हुए रास्ते से होकर आगे आराजी संख्या 4548/[illegible] की [illegible] पाली पर छुटे रास्ते [illegible]मि से होकर आवागमन करते चली आ रही है। वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर छुटा हुआ है लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। छुटे हुए रास्ते के फोटोग्राप्स प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त वर्णित छुटे हुए रास्ते में विपक्षीगण द्वारा छड़िया डालकर आये दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

अवरूद्व कर दिया जाता है जिससे उक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मोजुद नही है जिससे उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रायपुर में स्थित प्रार्थीया की की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228 की पूर्वी पाली पर एवं आराजी संख्या 4548 / 2223 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है, जो नियमानुसार डी.एल.सी. दर से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान करवाया जावें। साथ ही विपक्षीगण को पांबद फरमाया जावे कि उक्त रास्ते को सदैव खुला रखें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 12.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया व विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 8 स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। एवं विपक्षी संख्या 9 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 6 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीया की आराजी संख्या 2225 व 2226 में आने जाने का कोई रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228 एवं 4548 / 2223 में नही है बल्कि प्रार्थीया की आराजी संख्या 2225 व 2226 में आने जाने के लिए रास्ता रायपुर से केमुणिया जाने वाली सड़क आराजी संख्या 1958 से लगती हुई बिलानाम आराजी संख्या 2244, 2243 से होते हुए आराजी संख्या 2242 में होते हुए आराजी संख्या 2791, 2792, 2796, 2797, 2798 की पाली पर होते हुए वर्षो से अपनी आराजियात में आवागमन कर रहे है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ा है। उक्त रास्ते के लिए आराजी संख्या 2242 में छुटी हुई भूमि में प्रार्थीया ने लोहे का गेट लगा रखा है प्रमाण में मौके के फोटोग्राप्स पेश किये जो झुठे है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया को अपनी आराजी संख्या 2225 व 2226 में आने जाने का कोई रास्ता जवाबदाता की आराजी संख्या 2228 एवं 4548 / 2223 में नही है बल्कि प्रार्थीया को अपनी आराजी संख्या 2225 व 2226 में आने जाने का रास्ता रायपुर से केमुणिया जाने वाली सड़क से मौजुद है तथा प्रार्थीया ने मौके पर लोहे का गेट भी लगा रखा है प्रमाण में मौके के फोटोग्राप्स व नक्शा पेश है अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।

विपक्षी संख्या 8 ने अपने जवाब में अंकन किया कि मेरी आराजी संख्या 4548 / 2223 रकबा 0.09 है0 में 1 / 2, 1 / 2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इस आराजी में दक्षिण की तरफ रास्ता छोड़ रखा है जो आगे कुए तक जाता है जिसमें होकर कुएं के सभी हिस्सेदार वर्षो से आते जाते है। उक्त रास्ता मौके पर छुटा हुआ था जिसे जे.सी.बी. चलाकर अन्य लोगो ने बन्द कर दिया। मौके पर आवागमन बन्द हो गया है उक्त छुटा हुआ रास्ता रेकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि आराजी संख्या 2225, 2226 पर वर्तमान में कोई रास्ता मौके एवं रेकार्ड में बना हुआ नही है। मौके पर उक्त आराजी पर आवागमन बन्द है। प्रार्थीया रायपुर से गंगापुर जाने वाली मुख्य सड़क से विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 2228 रकबा 0.04 है0 व आराजी संख्या 4548 / 2223 रकबा 0.09 है0 मे रास्ता दर्ज करवानी चाहती है जिसमें प्रार्थीया की आराजी संख्या 2226 के उत्तरी पूर्वी कोने में रास्ता लेना चाहती है। उक्त कोने में प्रतिवादीगणो का कुआं है इसके अलावा आराजी संख्या 2226 के पश्चिमी उत्तरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

कोने में आराजी संख्या 4525/2230 रकबा 0.11 है0 की पश्चिमी सीमा पर 65 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता एवं बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 2182 से आराजी संख्या 2202 की पूर्वी सीमा पर 45 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में होकर प्रार्थीया की आराजी संख्या 2225 में वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 2228 रकबा 0.04 है0 सम्पूर्ण व आराजी संख्या 4548/2223 है0 मे से रकबा 0.0050 है0 कुल रकबा 0.0450 है0 रास्ता हेतु भूमि बनती है उक्त भूमि की डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से एवं वेकल्पिक रास्ता हरी स्याही से दर्शाया गया है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा उभयपक्ष अधिवक्ता बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नही है और जहां होकर आते जाते थो वहां विपक्षीगणो द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया जिससे प्रार्थीया द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एवं मौका स्थिति से अवगत कराते हुए मुख्य कथन किया गया कि इसी रास्ते को लेकर के पूर्व में भी माननीय सिविल न्यायाधीस एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर के न्यायालय में मथुराप्रसाद बनाम मोहन वगैरा के बीच रास्ते बाबत् प्रकरण चला जिसके दिवानी प्रकरण संख्या 43/96 होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.1997 को वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगणो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गई जिसमें संलग्न नक्शे में ए से बी स्थान के मध्य रास्ते में प्रतिवादीगण वादी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने की डिक्री जारी की गई है जिसमें उक्त वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 जो इस प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण के पूर्वज है जिनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गई है और माननीय सिविल न्यायालय गंगापुर द्वारा भी प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को आवागमन हेतु दर्शाया गया है जिससे विपक्षीगण रास्ता बंद नही करने हेतु पहले से ही पांबद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 2225, 2226 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228 रकबा 0.04 है0 सम्पूर्ण यानि 400 वर्गमीटर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 4548/2223 रकबा 0.09 है0 मे से 0.0050 है0 यानि 50 वर्गमीटर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0450 है0 यानि 450 वर्गमीअर भूमि भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा से 36105 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 72210 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे पालनार्थ [illegible] रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

30.12.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06/2021 (2021/44) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रूकमणी पत्नि मोडीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—हेमराज पिता मूला रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/1—मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—भैरूलाल नाबाबेवि माता मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/3—लोकेश नाबाबेवि माता मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/4—ज्ञानी पुत्री हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—कैलाशी पुत्री हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6—लक्ष्मी नाबाबेवि माता मांगी बेवा हेमराज रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2—नारायण पिता खेमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—हंजा बेवा नारायण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2—भूरालाल पिता नारायण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3—राजकुमार पिता नारायण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कमला पुत्री बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—प्रेमी पुत्री बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—फूली पुत्री बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लेहरी बेवा बालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—प्यारी देवी पत्नि गणेश रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—उदयलाल पिता मोहनलाल रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 2225, 2226 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228 रकबा 0.04 है0 सम्पूर्ण यानि 400 वर्गमीटर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 4548/2223 रकबा 0.09 है0 मे से 0.0050 है0 यानि 50 वर्गमीटर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0450 है0 यानि 450 वर्गमीअर भूमि भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा से 36105 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 72210 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को भुगतान [illegible] रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 30.12.2021 को [illegible] हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

30.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा